



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

परिपत्र

सं. पीएफआरडीए/2025/09/REG-PF/01

दिनांक : 16 सितम्बर 2025

प्रति,

सभी पेंशन फंड्स
सभी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (CRA)
एनपीएस ट्रस्ट
सभी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेन्स (उपस्थिति अस्तित्व)
ट्रस्टी बैंक
एनपीएस के अन्य हितधारक

विषय : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20(2) के अंतर्गत एनपीएस के तहत गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए बहु-योजना ढांचा (Multiple Scheme Framework - MSF) की शुरुआत

गैर-सरकारी क्षेत्र (NGS) एनपीएस का एक सशक्त और गतिशील स्तंभ बनकर उभरा है, जिसने सहभागिता और परिसंपत्ति वृद्धि दोनों में निरंतर प्रगति प्रदर्शित की है। यह क्षेत्र भारत के निजी कार्यबल – जिनमें कॉरपोरेट कर्मचारी, प्रोफेशनल्स, स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति और डिजिटल अर्थव्यवस्था (प्लेटफॉर्म आधारित) कार्यकर्ता शामिल हैं – के एनपीएस के माध्यम से अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। अब तक की यात्रा अत्यंत उत्साहजनक रही है, परंतु इस व्यापक और विविध खंड की वास्तविक क्षमता और भी बड़े विस्तार और गहन सहभागिता के अवसर प्रस्तुत करती है।

भारत के पेंशन परिदृश्य को सशक्त बनाने और अधिक व्यापक अंशदानकर्ताओं को इसके दायरे में लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए बहु-योजना ढांचा (MSF) प्रारंभ किया जा रहा है। यह ढांचा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20(2) के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के तहत विकसित किया गया है, जो एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं को एकाधिक स्कीमों तक पहुंच की अनुमति देता है। यह सुधार एनजीएस में एनपीएस की पहुंच का विस्तार करने, अभिदाताओं को अधिक लचीलापन, व्यक्तिगत पेंशन समाधान, और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विकल्प प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 20

यह ढांचा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में निहित कानूनी ढांचे पर आधारित है, जो एनपीएस की विधिक नींव प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 20 व्यक्तिगत पेंशन खातों के सृजन, उनकी पोर्टेबिलिटी, बहु-स्कीमों और पेंशन फंड्स की उपलब्धता, तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात वार्षिकी खरीद की अनिवार्यता से संबंधित प्रावधान करती है ताकि आजीवन आय सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, पेंशन फंड (Pension Fund) विनियम, 2015 के तहत पेंशन फंड्स द्वारा सावधानीपूर्वक निवेश मानदंडों का पालन करने, जोखिम और रिटर्न की पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और तकनीकी रूप से अभिदाताओं की सेवा हेतु तत्पर रहने की आवश्यकता होती है।

MSF की शुरुआत एक ऐसे पेंशन सिस्टम की परिकल्पना करती है जो बहुविकल्पीय, पारदर्शी और दक्ष हो। इस ढांचे को लागू करके प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पेंशन डिजाइन में नवाचार अभिदाताओं के लिए मजबूत सुरक्षा प्रावधानों के साथ संतुलित रहे।

3. ढांचे की प्रमुख विशेषताएं

बहु-योजना ढांचा एक नए आर्किटेक्चर पर आधारित है जिसमें एक अभिदाता, जो अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) द्वारा सभी CRA में अद्वितीय रूप से चिह्नित होगा, एनपीएस के अंतर्गत अपने PRAN के माध्यम से एकाधिक स्कीमों को संचालित कर सकेगा। यह पूर्ववर्ती अवसंरचना से भिन्न है, जहाँ अभिदाता केवल प्रति स्तर एक निवेश विकल्प चुन सकता था जो एक ही CRA से संबद्ध होता था। PAN आधारित पहचान के माध्यम से एकाधिक स्कीमों की अनुमति देकर, यह ढांचा विविधीकरण पर प्रतिबंध को हटाता है और अभिदाताओं को अपने निवेशों को अपने सेवानिवृत्ति और संपत्ति निर्माण के लक्ष्यों के अनुरूप करने का अधिक अवसर प्रदान करता है।

MSF के अंतर्गत पेंशन फंड्स को विशिष्ट अभिदाता प्रोफाइल को ध्यान में रखकर योजनाएँ तैयार करने की अनुमति दी गई है। इनमें स्वरोजगार वाले प्रोफेशनल्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्लेटफॉर्म-आधारित कार्यकर्ता, या ऐसे कॉर्पोरेट कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जिनके लिए नियोक्ता सह-अंशदान करते हैं। प्रत्येक योजना में कम से कम दो वेरिएंट होंगे – एक मध्यम जोखिम वाला और एक उच्च जोखिम वाला – जिसमें उच्च जोखिम श्रेणी में इक्विटी निवेश की अनुमति 100 प्रतिशत तक होगी। पेंशन फंड्स अपनी विवेकानुसार कम जोखिम वाले वेरिएंट भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

निकासी प्रावधान, जिनमें वार्षिकीकरण की आवश्यकताएं शामिल हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस के अंतर्गत निकासी और प्रत्याहरण) विनियमों द्वारा संचालित होंगे। यह ढांचा CRA स्तर पर एक पारदर्शी और समेकित रिपोर्टिंग प्रणाली भी प्रस्तुत करता है, जिससे अभिदाता अपने निवेशों को व्यक्तिगत योजना स्तर पर और समग्र रूप से, दोनों तरीकों से अपने PRAN के माध्यम से मॉनिटर कर सकेंगे। वे अभिदाता जिनके खाते एक से अधिक CRA में हैं, वे PAN आधारित अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के माध्यम से और निर्दिष्ट CRA द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक स्टेटमेंट के माध्यम से अपनी जानकारी तक पहुँच सकते हैं।

लागत संरचना को एनपीएस के सिद्धांतों के अनुरूप न्यूनतम रखा गया है। कुल शुल्क वार्षिक रूप से परिसंपत्तियों के प्रबंधन (AUM) का अधिकतम 0.30 प्रतिशत होगा, जबकि उन पेंशन फंड्स को अतिरिक्त 0.10 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा जो किसी योजना में 80 प्रतिशत से अधिक नए अभिदाताओं को जोड़ते हैं। यह प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ से तीन वर्ष तक या योजना में पचास लाख अभिदाता होने तक, जो भी पहले हो, उपलब्ध रहेगा। एनपीएस के लिए धारा 20(2) के अंतर्गत स्कीमों का विस्तृत ढांचा, मापदंडों सहित, **परिशिष्ट-1** में संलग्न है।

प्रत्येक योजना के लिए CRA वार्षिक शुल्क, समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले प्रचलित मानदंडों के अनुसार CRA द्वारा ही एकत्र किए जाएंगे।

4. हितधारकों के लिए लाभ

अभिदाताओं के लिए MSF विकल्पों और वैयक्तिकरण का एक बड़ा विस्तार प्रस्तुत करता है। यह उन्हें एक ही PRAN के अंतर्गत रूढ़िवादी और आक्रामक रणनीतियों का संतुलन स्थापित करने, विभिन्न जीवन चरणों के लिए उपयुक्त स्कीमों में निवेश करने और पारदर्शी तथा कम लागत वाले पेंशन उत्पादों तक पहुंच प्रदान करता है। पेंशन फंड्स के लिए यह ढांचा उत्पाद नवाचार और बाजार विस्तार के अवसर खोलता है, जिससे वे विविध समूहों के अनुरूप योजनाएं बना सकें और प्रदर्शन एवं सेवा गुणवत्ता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

एनपीएस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह अवसरचना उसकी पहुंच को प्रभावशाली बनाता है, समावेशिता को बढ़ाता है और एनपीएस की साख को एक वैश्विक मानक पेंशन प्रणाली के रूप में सुदृढ़ करता है। प्रस्तावित नए ढांचे के अंतर्गत PAN और PRAN को दर्शाने वाला एक उदाहरणात्मक चार्ट परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है।

5. परिचालन और अनुपालन प्रावधान

MSF के कार्यान्वयन के लिए पेंशन फंड्स, CRA, ट्रस्टी बैंक (TB) और उपस्थिति अस्तित्वों (PoPs) के बीच प्रणालीगत समन्वय आवश्यक होगा। PAN एकीकृत पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेगा जबकि PRAN लेन-देन के संचालन के लिए परिचालन खाता रहेगा। CRA बहु-योजना संचालन को सक्षम करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि ट्रस्टी बैंक अपने सिस्टम को अभिदाताओं की पसंद के अनुसार अंशदानों के पृथक्करण और अंतरण के अनुरूप ढालेगा, और PoPs अपने अभिदाता इंटरफेस को ऑनबोर्डिंग, स्विचिंग और निकासी सेवाओं के लिए उन्नत करेंगे।

इस ढांचे के अंतर्गत पेंशन फंड्स द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सभी नई स्कीमों के लिए पीएफआरडीए की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक होगी। पेंशन फंड्स को प्राधिकरण के निवेश मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा, "एनपीएस योजना आवश्यकताएं (NPS Scheme Essentials)" नामक मानकीकृत दस्तावेज के माध्यम से पारदर्शी प्रकटीकरण सुनिश्चित करना होगा और स्कीमों का उपयुक्त बाजार सूचकांकों के विरुद्ध बैचमार्किंग करनी होगी। वर्तमान में संचालित स्कीमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है; इन्हें अब सम्मिलित रूप से "कॉमन स्कीम्स (Common Schemes)" कहा जाएगा।

यह परिपत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा, जो *अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस* तथा *एनपीएस दिवस* के रूप में मनाया जाता है। सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां करें और प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन निधि प्रबंधन विभाग

**धारा 20(2) के अंतर्गत पेंशन फंड्स द्वारा तैयार की जाने वाली नई स्कीमों के लिए
बहु-योजना ढांचा (Multiple Scheme Framework - MSF) की रूपरेखा**

मानक	विनिर्देशन	विनियामकीय संदर्भ / विवरण
अभिदाताओं के लिए प्रत्यक्ष मूल्य	अभिदाता के जीवन के विभिन्न चरणों में निवेश करके सेवानिवृत्ति कोष की योजना बनाना और उसका भुगतान सुनिश्चित करना	1. पेंशन फंड्स मौजूदा विनियमों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निवेश और निकासी के विकल्प प्रदान कर सकते हैं, जिनमें आय भुगतान, वार्षिकी और उत्तराधिकार योजना से संबंधित सेवाएं शामिल होंगी। यह प्रत्येक अभिदाता की जागरूकता के स्तर पर निर्भर करेगा ताकि उपयुक्त उत्पाद पीएफ द्वारा या अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी में उपलब्ध कराए जा सकें। 2. पेंशन निधियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अतिरिक्त लाभ (अतिरिक्त लागत के साथ) प्रदान करें, बशर्ते वे इन लाभों को अभिदाताओं के समक्ष एकीकृत मंच पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रकट और स्पष्ट करें, तथा उन पर उनकी पूर्ण जिम्मेदारी और संविदात्मक दायित्व हो।
बाज़ार विस्तार	टियर-I और टियर-II योजनाएँ वार्षिक नामांकन लक्ष्यों के साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं	1. यह सभी नए और मौजूदा अभिदाताओं के लिए उपलब्ध होंगी –जिसमें टियर-I (सेवानिवृत्ति केंद्रित) स्कीमों के लिए वेस्टिंग अवधि अनिवार्य होगी, जबकि टियर-II (स्वैच्छिक बचत) स्कीमों में वेस्टिंग अवधि वैकल्पिक रहेगी। 2. किसी योजना की स्वीकृति की तिथि से प्रत्येक 12 माह की अवधि पूरी होने पर CRA में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, ताकि नए अभिदाताओं की संख्या की निगरानी की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा स्कीमों से निधियाँ किसी नई योजना में स्थानांतरित नहीं हुई हैं, सिवाय टियर-II से।
योजना के प्रकार	व्यक्तित्व-आधारित डिज़ाइन	पेंशन फंड्स अभिदाताओं की आयु सीमा, वर्ग या व्यवसाय (विभिन्न <i>पर्सोना</i>) के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की योजनाएँ तैयार कर सकते हैं – 1. (प्लेटफॉर्म आधारित कार्यकर्ता) 2. स्वरोजगार करने वाले / उद्यमी / प्रोफेशनल्स / कंसल्टेंट्स / मीडिया प्रोफेशनल्स

		3. कॉरपोरेट कर्मचारी – जिनके लिए नियोक्ता सह-अंशदान और कर्मचारी अंशदान लचीले संयोजन में किया जा सके, आदि।
जोखिम-आधारित योजना डिज़ाइन	मध्यम और उच्च	1. प्रत्येक श्रेणी में दो जोखिम वेरिएंट होंगे - मध्यम और उच्च। अभिदाताओं की जोखिम प्रोफाइलिंग उनकी आय या सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर की जाएगी ताकि वे स्कीमों का सूचित चयन कर सकें। 2. पेंशन फंड्स गलत बिक्री को रोकने और निरीक्षण हेतु ऑडिट ट्रेल बनाए रखने के लिए सैंपल चेक के माध्यम से ऑडिट तंत्र स्थापित करेंगे। 3. उच्च-जोखिम स्कीमों में इक्विटी निवेश की अनुमति 100% तक होगी। 4. कम-जोखिम वेरिएंट प्रस्तुत करने का विकल्प पेंशन फंड्स पर छोड़ दिया गया है।
योजना नामकरण मानक	मानकीकृत और पारदर्शी	1. योजना के नाम में अनिवार्य रूप से "NPS/एनपीएस" शब्द शामिल होना चाहिए और योजना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, जैसे : Growth, Wealth Builder, Power of Compounding, Pension, Pay-out आदि। 2. पेंशन फंड्स (PFs) अपनी ब्रांड का नाम शामिल कर सकते हैं। 3. ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो अस्पष्ट हों या जिनके कई अर्थ हों, क्योंकि पेंशन उत्पादों को अन्य वित्तीय सेवाओं के उत्पादों से अलग पहचान दिलाना आवश्यक है।
निकासी प्रावधान	पीएफआरडीए विनियमों के अनुसार	निकासी, प्रत्याहरण और वार्षिकीकरण के प्रावधान समय-समय पर संशोधित पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण) विनियमों के अनुसार लागू होंगे।
स्विचिंग विकल्प	अनुमत	1. वेस्टिंग अवधि के दौरान, चूंकि स्कीमों का प्रदर्शन स्विचिंग के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, अभिदाताओं को इस ढांचे के तहत लॉन्च की गई योजना से केवल कॉमन स्कीम्स (Common Schemes) में स्विच करने की अनुमति होगी,

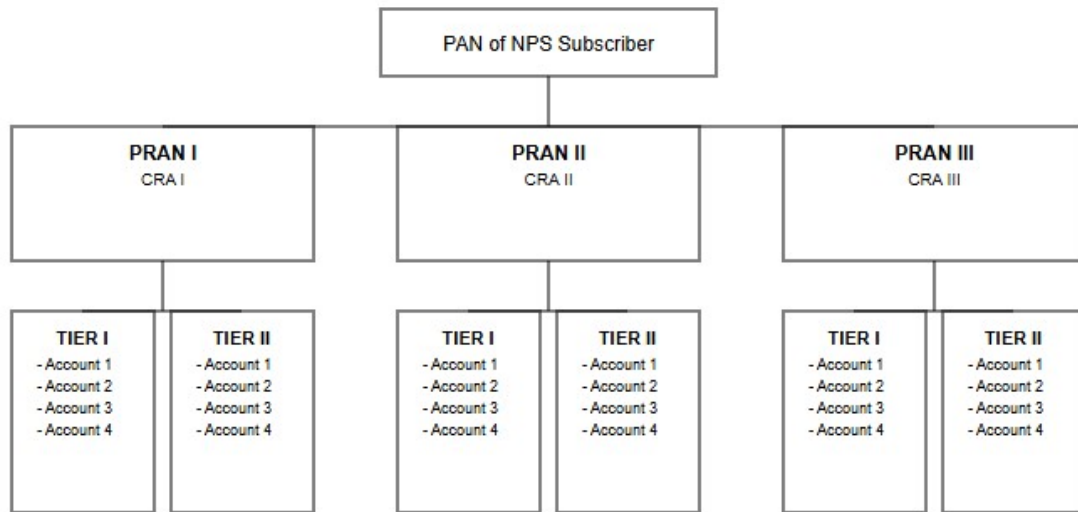
		लेकिन धारा 20(2) के तहत किसी अन्य स्वीकृत योजना में नहीं। 2. हालांकि, जो अभिदाता पेंशन फंड्स की स्कीमों में निवेश करते हैं, वे धारा 20(2) के तहत स्कीमों के बीच अपने निधियों को वेस्टिंग अवधि 15 वर्ष पूरी होने पर या पीएफआरडीए के निकासी विनियमों द्वारा परिभाषित सामान्य निकासी के समय स्थानांतरित कर सकते हैं।
शुल्क / प्रभार	समेकित	1. इस ढांचे के तहत लॉन्च की गई योजना से संबंधित कुल शुल्क वार्षिक परिसंपत्ति (AUM) का अधिकतम 0.30% तक लगाया और वसूल किया जा सकता है। उक्त शुल्क में पेंशन फंड को देय निवेश प्रबंधन शुल्क (IMF), PoP को वितरण और जागरूकता शुल्क शामिल होंगे, जैसा कि पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट और PF द्वारा निर्धारित किया गया है। 2. कस्टोडियन शुल्क, CRA शुल्क और एनपीएस ट्रस्ट शुल्क पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट रूप में उल्लिखित शुल्कों के ऊपर होंगे। 3. यदि इस ढांचे के तहत लॉन्च की गई योजना में 80% अभिदाता नए नामांकित हैं, तो PF को वार्षिक AUM का अतिरिक्त 0.10% प्रोत्साहन दिया जाएगा। 4. अतिरिक्त प्रोत्साहन की गणना स्वीकृति की तारीख से प्रत्येक 12 माह की अवधि समाप्त होने पर पीएफआरडीए द्वारा की जाने वाली समीक्षा के आधार पर की जाएगी। 5. यह प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक या जब तक योजना में पचास लाख अभिदाता नामांकित नहीं हो जाते, जो भी पहले हो तक उपलब्ध रहेगा।
वेस्टिंग अवधि	योजना-विशेष	न्यूनतम वेस्टिंग अवधि 15 वर्ष होगी, जिसमें 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति के समय निकासी का विकल्प उपलब्ध होगा।
निवेश ढांचा	नियामकीय अनुपालन	1. सभी स्कीमों को एनपीएस निवेश मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसा कि समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 2. गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए पीएफआरडीए द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देश (पीएफआरडीए/मास्टर परिपत्र/2025/03/PF-02 दिनांक 28 मार्च 2025) लागू होंगे, जिसमें परिसंपत्ति

		आवंटन सीमा, जारीकर्ता जोखिम मानदंड और क्रेडिट सुरक्षा शामिल हैं। 3. प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग में अनुमत आवंटन : निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार।
जोखिम आकलन	अनिवार्य जोखिम मीटर	1. प्रत्येक योजना में एक जोखिम मीटर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। 2. पेंशन फंड्स (PFs) को जोखिम की पहचान, निगरानी और निवारण के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचा बनाए रखना होगा। यदि जोखिम का पुनः वर्गीकरण उच्चतर किया जाता है, तो पेंशन फंड्स को इसे छह महीनों के भीतर समायोजित करना होगा।
कर लाभ	आयकर अधिनियम के अनुसार	आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर प्रोत्साहन लागू होंगे
अभिदाताओं के साथ सहभागिता	सतत संचार	1. स्कीमों PFs को अभिदाताओं के साथ नियमित और लक्षित संचार बनाए रखना होगा, जिसमें योजना की विशेषताएं और विकास शामिल हों। 2. वर्तमान CRA संचार प्रक्रियाएँ समानांतर रूप से जारी रहेंगी।
प्रदर्शन बेंचमार्किंग	पारदर्शी मानक	प्रत्येक योजना को संबंधित बाजार सूचकांकों (जैसे, इक्विटी सूचकांक, बॉन्ड सूचकांक, या सम्मिश्रित बेंचमार्क) के आधार पर मानकीकृत किया जाएगा, ताकि प्रदर्शन की पारदर्शी जानकारी सुनिश्चित की जा सके।
दस्तावेजीकरण	मानकीकृत प्रारूप	एक व्यापक सूचना दस्तावेज़ जिसका शीर्षक "NPS Scheme Essentials" होगा, प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. योजना का नाम 2. उद्देश्य 3. परिसंपत्ति आवंटन 4. जोखिम 5. वेस्टिंग प्रावधान 6. स्विचिंग विकल्प 7. निकासी विकल्प 8. शुल्क और प्रभार संरचना 9. प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा

		10. निधि प्रबंधक का विवरण
स्वीकृति प्रक्रिया	पीएफआरडीए प्राधिकृति	प्रत्येक नई योजना के लिए अधिनियम की धारा 20(2) के तहत पीएफआरडीए की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
प्रदर्शन निगरानी	मौजूदा निगरानी ढांचा	- स्कीमों की निगरानी पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट द्वारा स्थापित पर्यवेक्षी ढांचे के तहत की जाएगी, जिसमें मौजूदा ढांचे के अतिरिक्त 12 माह के आवधिक समीक्षा शामिल होंगे। - प्रस्तावित ढांचे के लिए मौजूदा ढांचे के तहत एनपीएसटी की भूमिका जारी रहेगी।
पेंशन फंड द्वारा स्कीमों का समापन	अभिदाताओं के लिए विकल्प	- यदि कोई पेंशन फंड (PF) किसी योजना का समापन करता है, तो अभिदाताओं को किसी भी कॉमन योजना या धारा 20(2) के अंतर्गत किसी योजना में स्थानांतरण का विकल्प प्रदान किया जाएगा। - जो अभिदाता अपना विकल्प नहीं चुनते, उन्हें उसी PF की ऑटो चॉइस LC 50 के अंतर्गत टियर-I में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

Annexure II

Architecture of Multiple Scheme Framework (MSF)



Accounts can be one or more under Active, Auto Choices and Schemes of PFs. Exit from one or more Account as per Exit and Withdrawal Guidelines of PFRDA